न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 08/2019 अपील/बांसवाड़ा

पंजीयन दिनांक– 08.01.2019

निर्णय दिनांक– 18.09.2019

श्री गेबीलाल पुत्र नगजी भील निवासी हड़मतिया तहसील व जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नगजी पुत्र हमीरा मृतक के बजाय
   (1/1) श्रीमती काली बेवा नगजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/2) श्री गोतम पिता नगजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
   (1/3) श्री वरसेग पिता नगजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
2. श्री डालू पिता थावरा भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
3. श्री धूलिया पिता फूलजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
4. श्री मोतीया पिता फूलजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
5. श्री खातू पिता फूलजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
6. श्री रूपा पिता देवाजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
7. श्री रमेश पिता देवाजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
8. श्री मोहन पिता देवाजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
9. श्रीमती हंगारी बेवा देवाजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
10. श्री मिठू पिता मनजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
11. श्रीमती मंगली बेवा मनजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
12. श्री मन्ना पुत्र वागा भील मृतक के बजाय–
    (1/1) श्री मणीलाल पिता मन्ना भील निवासी कापड़िया उमराई जिला बांसवाड़ा
    (1/2) श्री रमेश पिता मन्ना भील निवासी कापड़िया उमराई जिला बांसवाड़ा
    (1/3) श्री नारायण पिता मन्ना भील निवासी कापड़िया उमराई जिला बांसवाड़ा
    (1/4) श्रीमती कंकू बेवा मन्ना भील निवासी कापड़िया उमराई जिला बांसवाड़ा
13. श्री भारता पिता शंभू भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
14. श्री कालिया पिता शंभू भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा

15. श्री कमलेश पिता शंभू भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
16. श्रीमती नंदूड़ी बेवा शंभू भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
17. श्री राजू पिता रंगजी भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
18. श्री गोतम पुत्र रकमा भील निवासी पीपलवा तहसील व जिला बांसवाड़ा
19. तहसीलदार बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 2 से 9
श्री सत्यप्रकाश व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 18
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाषक, रेस्पो. सं. 19

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 06/14 निर्णय दिनांक 27.04.2015

निर्णय

दिनांकः 18.09.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 06/2014 निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 26.05.2015 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीपलवा पटवार हल्का निचला घण्टाला तहसील व जिला बांसवाड़ा की विवादग्रस्त कृषि भूमि खातेदार फुलिया पुत्र नाथू, थावरा, नागजी व वागा, पिसरान जाति भील निवासी पीपलवा से अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.11.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। अपीलान्ट ने पूर्व में नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया था, किन्तु नामान्तरकरण नहीं खुला। उक्त विक्रय के पश्चात् खातेदारों में से श्री थावरा की मृत्यु होने पर थावरा के वारीसान लालू, जमना बेवा थावरा का नाम इन्द्राज हुआ, श्री फुलिया की मृत्यु होने पर उसके वारीसान श्री धुलिया, देवा, खातू, मोतिया व मनजी का नाम इन्द्राज हुआ व देवा की मृत्यू होने पर उसके वारीस रूपा, रमेश, सोहन, हंगारी के नाम इन्द्राज हुआ, श्री मनजी की मृत्यु होने पर उसके वारीस श्री मिठू व मंगली का नाम इन्दाज हुआ, श्री वागजी की मृत्यु होने पर श्री रघू, मना, शंभू, भूली का नाम व शंभू की मृत्यू पर भारत, कालिया, कमलेश, नन्दुड़ी का नाम इन्द्राज हुआ। श्री रघु उर्फ रंगजी की मृत्यु पर श्री राजू का नाम दर्ज हुआ, जो सं. 2068 से 2071 की

जमाबन्दी में दर्ज है। उपरोक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विवादग्रस्त भूमि को दिनांक 22.06.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 18 श्री गौतम को विक्रय कर दी, जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 20.07.2019 को तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.04.2015 से प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 की मृत्यु हो जाने एवं अपील जिसके विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है वह जीवित है , या मर गया है, उसकी जानकारी रखने का दायित्व अपीलान्ट का है। किसी भी मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी कब हुई, उसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं होने, प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध अपील पेश होना पाये जाने से अपील स्वतः ही उपशमित (Abate) होना माना जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से श्री परमेश्वर पण्ड्या, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 18 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 19 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 से 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उभय पक्षों की दिनांक 05.09.2019 को बहस सूनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की एवं दौराने बहस मौखिक रूप से अपने अपील मेमो में अंकित तथ्यों का ही दौहराव करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बाद जारी सम्मन में नोट लग कर आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री नगजी का स्वर्गवास हो चुका है, ज्योही अपीलान्ट को इसकी जानकारी हुई अपीलान्ट ने उनकी नामकायमी का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि मृतक के बजाय उनके वारिसान का नाम कायम कर दिया जावें। जिसका जवाब अन्य रेस्पोडेन्ट ने दिया व कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगजी की मृत्यु मई, 2013 में हो गई है तथा मना की मृत्यु अपील पेश करने के पूर्व हो चुकी है, परन्तु यह नहीं बताया कि मृत्यु कब हुई। कानूनन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो जाती है तो भी उसकी नामकायमी ज्ञान होने के 90 दिन के अन्दर कराई जा सकती है। यह लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का मामला है, वैसे इसमें

सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है। फिर भी अपीलान्ट ने नोलेज होते ही नामकायमी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय पर नामकायमी कराई जानी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपील को ही अबेट कर दिया, जबकि ऐसे मामलों में अपील कभी भी अबेट नहीं होती है। इस मामले में तो 18 रेस्पोडेन्ट थे, उसमें से केवल दो रेस्पोडेन्ट की मृत्यु होने पर पूरी अपील अबेट नहीं होती है। अगर जानकारी से दरख्वास्त नामकायमी की पेश कर दी जाती है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि नामकायमी की जानी चाहिये व टेक्नीकल आधार पर अपील अबेट नहीं की जा सकती है। यह लाखों रूपयों की जायदाद का प्रश्न है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.04.2015 को अपील अबेट मानकर निरस्त करने का जो आदेश दिया वह बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामकायमी के लिए अगर प्रार्थना पत्र देरी से भी पेश किया गया है तो उसके वारिसान को रेकर्ड पर लेकर, उन्हें सुना जाकर मेरिट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करें। इस मामले में तो मृतक के वारिसान की नामकायमी का प्रार्थना पत्र भी लग चुका था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की अपील कभी भी अबेट नहीं होती है जैसा कि आर.आर.टी. 2006 पेज 1224, आर.आर.डी. 1992 पेज 99 पर तय किया गया है तथा अपील को अबेट नहीं होना मानते हुए अपील को मेरिट पर तय करने हेतु मामला रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में नामकायमी का प्रार्थना पत्र पेश हो चुका था, ऐसे मामलों में अपील अबेट नहीं की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरे आर.बी.जे 2011 पेज 41, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 167 व आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 710, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 844, आर.आर.डी. 1993 पेज 42 प्रस्तुत की तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 319 को निरस्त करने के आदेश जारी करने तथा विवादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करने तथा खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से दिलाया जाने हेतु इश्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2 से 9 एवं 18 ने बहस में बताया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी है तथा किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश शुदा अपील Nullity यानि शून्य होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में शपथ पत्र संलग्न किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन के साथ कोई भी शपथ पत्र संलग्न नहीं किया है तथा मृत

रेस्पोडेन्ट की मृत्यु तिथि भी रेस्पोडेन्ट द्वारा ही बताई गई है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की मृत्यु दौराने अपील होने बाबत कोई कथन नहीं किया है। आदेश 22 जा.दी. के प्रावधान दौराने अपील मृत्यु पर लागू होते है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती तथा विभाजन के प्रकरणों में अबेटमेन्ट नहीं होना इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्योंकि यह प्रकरण विभाजन का नहीं होकर नामान्तरकरण की अपील है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानानुसार सुव्यक्त निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की प्लीडिंग्स, न्यायिक नजीरों व पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में हमारे समक्ष यह अपील गुणावगुण पर पारित निर्णय के विरूद्ध पेश नहीं हुई है एवं अपील में हमारे समक्ष विचारणीय तथ्य यही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 की मृत्यु को लेकर जो अपील अबेट की है, उक्त निर्णय उचित है अथवा नहीं, तद्नुसार हम अपील में हमारे निर्णय को इस हद तक ही सीमित रखेगें।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.01.2015 को आदेश 22 नियम 4 के तहत एक आवेदन पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 08.01.2015 की प्रोसिडिंग से हुई है एवं इसी प्रकार इसी आवेदन में रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की भी मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारीसान को रेकर्ड पर लिये जाने का आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के साथ न तो शपथ पत्र है, न ही मियाद कण्डोन किये जाने का कोई आवेदन संलग्न है। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.03.2015 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगजी की मृत्यु दिनांक 08.05.2013 को हो गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व हो गई थी। सम्मन्स अपील में भी यही बताया गया है। अपील मृत्यु रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 12 की मृत्यु अपील पूर्व ही हो गई, अतः अपील स्वतः ही अबेट हो गई है। जवाब की ताईद में रेस्पोडेन्ट ने शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रकरण में हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन्स जो कि दिनांक 18.12.2014 की पेशी के जारी किये गये है, उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मन्ना की तामिली रिपोर्ट पर उसकी मृत्यु दिनांक 26.11.2014 को होना बताया है। इसी प्रकार दिनांक 18.12.2014 की पेशी के सम्मन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगजी पर तामिली रिपोर्ट में उसकी मृत्यु वर्ष 2013 में होना रिपोर्ट हुआ है। दिनांक 18.12.2014 की पेशी पर आदेशिका अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 की मृत्यु होना बताकर उनके नोटिस अदम तामिल होकर उसकी जानकारी वकील अपीलान्ट को दिया जाना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय

में अपीलान्ट ने दिनांक 08.01.2015 की प्रोसिडिंग से उसे मृत्यु की जानकारी होना बताया है, जबकि जानकारी दिनांक 18.12.2014 से ही होना सुस्पष्ट है। दिनांक 08.01.2015 की पेशी को तो अपीलान्ट अधिवक्ता ने कायम मुकाम का अवसर चाहा है तथा आगामी पेशी दिनांक 15.01.2015 को आवेदन पेश किया है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन की उसे प्रोसिंडिग दिनांक 08.01.2015 से निर्णय की जानकारी हुई हो, यह तथ्यपूर्ण नहीं है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा सशपथ यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगजी की मृत्यु दिनांक 08.05.2013 को हो गई है तथा सम्मन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर भी वर्ष 2013 में नगजी की मृत्यु होना रिपोर्ट हुआ है। जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 12 मन्ना का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपने जवाब में मन्ना की मृत्यु कब हुई, इस बाबत कोई कथन नहीं किया है एवं अपीलान्ट द्वारा भी उसकी मृत्यु बाबत तिथि का अंकन नहीं किया है। इन परिस्थितियों में तामिल कुनिन्दा ने मन्ना रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की मृत्यु दिनांक 26.11.2014 को होना बताया है, उसे ही प्रासंगिक मानना उचित होगा। प्रकरण में जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगजी का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट के सशपथ जवाब के कारण उसकी मृत्यु तिथि दिनांक 08.05.2013 माना जाना उचित है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा इस बाबत कोई खण्डन नहीं किया है तथा न ही इस बाबत कोई तार्किक कथन/प्रतिशपथ पत्र दिया है। जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 12 का प्रश्न है, उसकी मृत्यु बाबत रेस्पोडेन्ट ने भी कोई तिथि वर्णित नहीं की है, न ही अपीलान्ट ने इसके विरूद्ध तामिल कुनिन्दा ने मृत्यु तिथि दिनांक 26.11.2014 होना बताया है, जिसे उचित माना जाना चाहिये। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि अपील दिनांक 24.07.2014 को पेश हुई है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु निःसंदेह अपील दायर के पूर्व ही हो चुकी है, इसके विरूद्ध निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की मृत्यु अपील दर्ज करने से पूर्व हुई हो, बल्कि मृत्यु दिनांक 26.11.2014 को होना माना जाना सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु अपील प्रस्तुत होने से पूर्व वर्ष 2013 में हो चुकी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जा0दी0 के प्रावधानों में आदेश 22 के प्रावधान सिर्फ दौराने कार्यवाही/वादकरण मरने वाले पक्षकारों के लिए ही लागू होते है तथा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही/अपील प्रारम्भतः Nullity यानि शून्य होती है। प्रकरण में अपील दायर करने से पूर्व यदि कोई पक्षकार मर गया है तो उसके वारिसान की जानकारी कर उन्हें ही पक्षकार संस्थित कर कार्यवाही/अपील प्रस्तुत करने का दायित्व अपीलान्ट का होता है, न कि वह मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दें। आदेश 22 जा0दी0 के प्रावधान दौराने कार्यवाही मरने वाले पक्षकारों पर ही लागू होते

है। अपीलान्ट द्वारा अपने आवेदन के साथ कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु अपील पेश करने के बाद होना माना जा सकें, इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने सशपथ जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु होने की विशिष्ठ तिथि 08.05.2013 का कथन किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने लिये गये विभिन्न उजरात व लिखित बहस में इस कार्यवाही में सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होना बताया है, जो उचित नहीं है। नामकायमी हेतु जा.दी0 के प्रावधान ही लागू होगें। अपीलान्ट का अन्य कथन यह है कि पूरी अपील अबेट नहीं होती, परन्तु प्रकरण में अबेट के प्रश्न पर विचार करना ही उचित नहीं है, क्योंकि अबेट आदेश 22 जा0दी0 के अन्तर्गत होती है, जो इस प्रकरण पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु अपील दर्ज करने से पूर्व ही होने से संबंधित है तथा विधि अनुसार मरे हुए पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रारम्भतः Nullity यानि शून्य होती है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरे आदेश 22 व विभाजन के प्रकरणों के संदर्भ में पेश की गई है। यह प्रकरण आदेश 22 के प्रावधानों में कवर नहीं होता, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु अपील दर्ज करने से पूर्व हो चुकी है तथा यह प्रकरण विभाजन का भी नहीं है, अतः अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा कोई भी नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

प्रकरण में हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील को अबेट होने के कारण खारिज किया है, जो उपरोक्त अनुसार अबेटमेन्ट तो इस प्रकरण में उपादेय नहीं है, परन्तु मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश होने के कारण अपील प्रारम्भ से ही Nullity यानि शून्य होने से खारिज किया जाना विधि संगत है।

उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार हम अपील अपीलान्ट Nullity यानि शून्य होने से खारिज करते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official